मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 21/03/2025

क्र. IPI/5/0022/2025/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स सासन पॉवर लि. (मेसर्स रिलायंस पॉवर लि. द्वारा प्रमोटेड एस.पी.व्ही.) द्वारा जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश में स्थापित थर्मल पॉवर प्लांट हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत आर्थिक रूप से बाधित निवेश परियोजनाओं के लिये प्रावधानित सहायता प्रावधान अनुसार पूर्व स्वीकृत शासनादेश दिनांक 31.12.2019 के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 20/02/2025 पर निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. मूल देयताओं के सम्बन्ध में-

1. दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए वैधानिक बकाया की कुल मूल राशि, जो लगभग रूपये 1326 करोड है, में से मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों को रुपये 1000 करोड़ की मूल राशि का भुगतान किया जाये।
2. शेष मूल राशि दो किश्तों में जून 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों को भुगतान की जाये।

2. ब्याज राशि के सम्बन्ध में-

1 कंडिका 1 में उल्लेखित मूल राशि पर संचित ब्याज दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में, जो लगभग रूपये 702 करोड संभावित है, की गणना कर स्थिर (Freeze) किया जाएगा। इस स्थिर (Freeze) की जाने वाली ब्याज़ राशि का निर्धारण अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग की अंतर्विभागीय समिति द्वारा किया जाये, जिसे निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष सूचनार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। अंतर्विभागीय समिति के समन्वयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग होंगे।

2 संचित ब्याज की गणना करते समय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में जारी सभी आदेशों को ध्यान में रखा जाये।

3 कंडिका 2 (1) में गणित ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष 2036-37 में दिनांक 31 दिसंबर, 2036 तक बुलेट भुगतान के रूप में किया जाये।

4 कंडिका 2 (1) में फ्रीज की गई ब्याज राशि पर ब्याज का भुगतान रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर घोषित किये जाने वाले **बैंक दर (bank rate)** प्लस **1%** पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष दिसंबर माह में तब तक किया जाये जब तक कि उपरोक्त 2 (3) के अनुसार 2036-37 में बुलेट भुगतान नहीं किया जाता है (पहली किश्त दिसंबर 2025 में)।

निरंतर .....

3. उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रवर्तक, अग्रणी बैंक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी तथा एमपीआईडीसी के मध्य चर्तुपक्षीय अनुबंध (Quadripartitie Agreement) को विधि एवं विधायी कार्य विभाग से परिमार्जित कराने उपरांत निष्पादित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार
21/3/25
(राघवेन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0022/2025 /ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 21/03/2025

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग, खनिज साधन विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा।
4. कलेक्टर, जिला- सिंगरौली।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिगनेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स सासन पॉवर लि. (मेसर्स रिलायंस पॉवर लि. द्वारा प्रमोटेड एस.पी.व्ही.), रिलायंस सेंटर, नीयर प्रभात कॉलोनी, ऑफ वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, सन्ताक्रुज (इस्ट) मुम्बई – 400055।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21/3/25
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग